

22

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

2021/483

वादीगण

जयराम

किस्म प्रकरण : वाद पत्र

बनाम

सरकार वगैरह

संख्या - 211/2021

प्रतिवादीगण

तारिख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये।
11.10.2021	यह वाद वादीगण ने जरिये अधिवक्ता श्री गोविन्दराम ढाका ने अधीन धारा 88 आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया गया है। जो दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब किया जावे। मिसल दिनांक ..... को पेश हो।	
11.10.21:	पञावनी पेश डी वकील फरिजे उपर अतिवादी पक्ष तहमीलत जमल अय (जिसे रिपोर्ट न द्याए गए पेश किया गये अफस में अतिवादी पक्षाने उवाब में बाद को लीकट किए जाने लहकत पनादि ही अफस लहकत की अफसपक्ष नही है मिसल लहकत वारी हे मिसल की गिरी लहकत वारी में शपथ का गवाह पक्षाने व लहकत का वारी के भाई बाबुलाल ने पेश किया मिसल बाद को लीकट किए जाने पर लहकत अफस की ही अफस में वारी लहकत मिसल किया गया। लहकत लहकत वारी के कारण एवं अफस, तहमीलत उवाब में रिपोर्ट का अफसपक्ष मिसल जिसे पक्ष डि अफस में वारी की अफसपक्ष लीकट मोफु है अफस वारी का वाद लीकट किया पक्ष डि लहकत मिसल ही डि लहकत पक्ष वारी ही मिसल अफस अफस वारी के अफस वारी वारिस लहकत है।	जयराम गोविन्दराम अधिवक्ता अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्दादाई  
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)  
अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला-नागौर,  
(कैम्प ग्राम पंचायत छापडा )  
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.  
राजस्व वाद संख्या : 211/2021

वादी -

- जयराम पुत्र मांगीलाल जाति-मेघवाल, निवासी-छापडा, तहसील जायल (नागौर)  
बनाम

प्रतिवादी -

- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल।

उपस्थिति :-

- श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादी
- प्रतिवादी राजपैरोकार उपस्थित



दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

- :: डिक्री आदेश :: -

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रुबरु हमारे व हाजरी श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी राज पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि -

- ग्राम छापडा तहसील-जायल के खाता संख्या 719, खसरा नं. 664/995 रकबा 2.6466 हैक्टैयर भूमि वादी जयराम पुत्र मांगीलाल निवासी छापडा तहसील जायल की खातेदारी की घोषित की जाती हैं।

(रवीन्द्र कुमार)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

जायल (नागौर)

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

उपखण्ड अधिकारी, जायल

तीज - मुबलिग - बाबत् - खर्चा इस मुकदमे के मुहुरा व मुहर आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक - की अहदा करे। बाबत् में दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ...11.10.2021... को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिष्नर			फीस कमिष्नर		
बाबत् इजराज हुकमनामा			बाबत् हुराय हुकमनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :- इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(रवीन्द्र कुमार)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

जायल (नागौर)

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

उपखण्ड अधिकारी, जायल